दिनांक

10/11 पत्रावली पेश। अधिवक्ता उभयपक्ष हाजिर। अपीलार्थी के वकील ने बहस हेतु समय चाहा। पूर्व में कार्यवाही समय दिये जा चुके हैं, बहस बहस की जाती है। अधि. अपीलार्थी द्वारा दिनांक 1 ता 8, 13, 15, 19 के ताकीदी पत्र-पत्र निर्देशों के पालन की आज दिनांक तक पेश नहीं की गई है। अधि. अपीलार्थी द्वारा बहस के समय जाने वाला अनुरोध किया। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। बहस पर मूल नक्शे आदि तथा अधि. अपीलार्थी द्वारा आदेश के संख्या का खण्डन किया। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थियों के हितों का निर्धारण मूल वाद में साक्ष्यों व तथ्यों के आधार पर किया जाना है। अपीलार्थी द्वारा 1 ता 8, 13, 15, 19 के ताकीदी आज दिनांक तक पेश नहीं किये गये हैं अतः इनके ताकीदी पत्र रद्द की जाती है तथा इनके विरुद्ध पृथक प्रार्थना पत्र में चाहे गये अनुतोष को खारिज किया जाकर स्थान से मुक्त किया जाता है। तथा अपीलार्थी द्वारा 9 ता 12, 14, 18 व 20 के जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे विवादित भूमि ख.नं. 1364 रकबा 0.074 हैक्टर, ख.नं. 1365, 1368 में से 0.605 हैक्टर एवं ख.नं. 1335 में से रकबा 0.1913 हैक्टर, परिग्राम रघुनाथगढ़ तहसील व जिला सीकर की भूमि पर ता. 19 वाद संख्या 70/2015 तक रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नस्ख से कम है, दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, सीकर